रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122021-232288 CG-DL-E-31122021-232288

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5067] No. 5067] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSA 9, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5473 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 1750(अ) तारीख 7 अगस्त 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया या करने का लोप किया गया है, निम्न सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित अधिकारी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का अधिकारी रहते हुए, और सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य पद के कानूनी प्राधिकारी रहते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थान की स्थायी सीमाओं को परिभाषित करती है, जिसके संबंध में संपदा अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे या उसके अधीन संपदा अधिकारियों पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे ।

7671 GI/2021 (1)

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी संस्थानों की श्रेणियां और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
डॉ० आर० गोपीनाथ,	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन, उसके
उप सचिव,	परिसर (अर्थात सीआरएचएसपी, बल्लभगढ़ (हरियाणा); एनडीडीटीसी,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई	गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश); एनसीआई, झज्जर (हरियाणा))
दिल्ली	

[फा.सं. वी-16020/108/2021-आईएनआई-I]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2021

S.O.5473(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971(40 of 1971), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, sub-Section (ii) of Section 3, vide number S.O. 1750(E) dated the 7th August, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government herby appoints the officer mentioned in Column (1) of the Table below, being officer of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, a statutory authority, and being equivalent to the rank of a Gazetted Officer of Government, to be estate officer for the purpose of the said Act, and defines the local limits of public premises as specified in Column (2) of the said Table, in respect of which, the said estate officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act.

TABLE

Designation of Officer	Categories of public premises and local limits of
	jurisdiction
(1)	(2)
Dr. R. Gopinath,	Premises of All India Institute of Medical Sciences, New
Deputy Secretary,	Delhi, under its control {i.e. CRHSP, Ballabgarh(HR),
All India Institute	NDDTC, Ghaziabad(U.P), NCI, Jhajjar(HR)}
of Medical Sciences, New Delhi.	

[F. No.V-16020/108/2021-INI-I]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Advisor